रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267522
CG-DL-E-10112025-267522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4877] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 4877] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

संख्या 47 /2025-26

विषय: रेड सैंडर्स (पेरोकार्पस सांतालिनस) की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 5032(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा रेड सैंडर्स (पेरोकार्पस सांतालिनस) के निर्यात से संबंधित आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 44 की नीतिगत शर्त 3 को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:

1. अनन्य रूप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि उद्गम के लट्ठा और जड़ रूप में प्राप्त रेड सैंडर्स वुड का निर्यात प्रतिबंधित है तथा निर्यात केवल प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही अनुमत है:

(i) प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी किए गए उद्गम प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी, जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया था, जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण दिया गया हो।

(ii) इस प्रकार खरीदे गए और आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन के बाद जारी किए प्रमाण पत्र के साथ प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन भी संलग्न किया जाएगा।

(iii) निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा, जो कि सीआइटीईएस के अन्तर्गत मात्रात्मक सीमा आवश्यकताओं आदि जैसी अन्य शर्तों के अध्याधीन होगा, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

(iv) भारतीय सीआइटीईएस प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा तय करेगा, जिसकी समीक्षा नेशनल डिट्रीमेंटल फाईंडिंग्स (एनडीएफ) स्टडी या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर की जा सकती है।

(v) एनडीएफ स्टसडी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार, रेड सैंडर्स (*पेरोकार्पस सांतालिनस*) के लिए राज्य-वार निर्यात कोटा (**अनुलग्नक के अनुसार**) को प्रतिबंधित निर्यात प्राधिकार पत्र (प्राधिकार पत्रों) के तहत अनुमति दी जाएगी।

(vi) रेड सैंडर्स के जंगली नमूनों के लिए शून्य निर्यात कोटा निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन उपलब्ध होगा:-

- राज्य सरकार भू-संदर्भित साइटों और एमआइएस के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी, जिसमें पेड़ों की संख्या, उनकी आयु और तने की ऊंचाई तक व्यास दिया जाएगा।

- राज्यों की कार्य योजना दिशानिर्देशों में वन्य और गैर- वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेड सैंडर्स वुड की वहनीय कटाई हेतु अनुमोदित आवर्तन अवधि के साथ विशिष्ट प्रबंधन योजनाएं/कटाई योजनाएं शामिल करने की आवश्यकता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: कृत्रिम रूप से उगाए गए रेड सैंडर्स (*पेरोकार्पस सांतालिनस*) का कर्नाटक के लिए 10 मीट्रिक टन और गुजरात के लिए 100 मीट्रिक टन (**1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक**) का वार्षिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च), उल्लिखित शर्तों के अधीन, अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/03/एएम-19/ईसी/ई- 33958 से जारी]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 04 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना सं. 47 /2025-26 हेतु अनुलग्नक

कृत्रिम रूप से उगाए गए स्रोतों से प्राप्त रेड सैंडर्स (पेरोकार्पस सांतालिनस) के लिए राज्यवार वार्षिक निर्यात_कोटा

राज्य	वार्षिक निर्यात कोटा (वित्तीय वर्ष-वार अर्थात अप्रैल से मार्च) (मीट्रिक टन में)
आंध्र प्रदेश	280
तमिलनाडु	900
कर्नाटक	10
गुजरात	100
कुल	**1,290 मीट्रिक टन**

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

No. 47 / 2025-26

Subject: Amendment in Export Policy of Red Sanders *(Pterocarpus Santalinus)* - regarding.

S.O. 5032(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy condition 3 of Chapter 44 of Schedule-II (Export Policy), ITC (HS) 2022 pertaining to export of Red Sanders *(Pterocarpus Santalinus)*, with immediate effect, as follows:

1. Export of Red Sanders wood in log form and roots, exclusively of cultivation origin obtained from private land (including Patta land) is restricted and Export is permitted only under a Restricted Export Authorisation subject to the following conditions:

(i) Applications for Restricted Export Authorisation shall be accompanied by attested copies of Certificate of Origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the stocks were procured / exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured.

(ii) A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant, issued subsequent to the physical verification of the stocks by the authority nominated for the purpose by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the concerned State, shall also accompany application for Restricted Export Authorisation.

(iii) The applications shall be considered on merits for issue of export authorisation, which shall be subject to any other conditions such as quantity ceiling requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time.

(iv) Based on the recommendation of CITES Management Authority of India, the MOEF&CC shall fix an yearly quota, which may be reviewed based on National Detrimental Findings (NDF) study or recommendations of Government agencies.

(v) In accordance with the recommendations of the NDF Study, MoEF&CC, the state-wise export quota (**as per Annexure**) for Red Sanders *(Pterocarpus santalinus)* shall be permitted against Restricted Export Authorisation(s).

(vi) A zero export quota shall be available for wild specimens of Red Sanders subject to the following conditions:-

- State Government shall develop a digital platform with Geo-referenced sites and MIS giving the number of trees, their age and diameter at breast height.
- The working plan Guidelines of States need to include specific management plans/ harvest Plans with approved rotation periods for sustainable harvest of red sanders wood from plantations in forest and non-forest areas.

Effect of this Notification: Annual Export quota (April to March) of 10 MTs for Karnataka and 100 MTs for Gujarat (from **April 1, 2025 to March 31, 2027**) for artificially propagated Red Sanders *(Pterocarpus Santalinus)*, subject to conditions as mentioned is notified.

[F. No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 33958]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to Notification No. 47 dated 04 November, 2025

State-wise Annual Export Quotas for Red Sanders (Pterocarpus Santalinus) obtained from Artificially Propagated Sources

State	**Annual Export Quota (Financial year-wise i.e. April to March) (In MTs)**
Andhra Pradesh	280
Tamil Nadu	900
Karnataka	10
Gujarat	100
Total	**1,290 MTs**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.10 15:36:53 +05'30'